न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर

तारीख हुक्म	प्यारसिंह बनाम रामोती वगै० हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 77/25 (2024/223) प्रा०पत्र 212 RTA	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04-11-25	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी सं० 2, 3 का जवाब पेश नहीं। प्रार्थी बहस पर उभय पक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभाँति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचते है कि प्रकरण से संबंधित दावे में भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। पक्षकारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है। अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत नहीं होता है। चूंकि पक्षकारान सहखातेदारान है तथा पक्षकारान के हकों का निर्धारण दावे में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात तथा गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। तब तक अन्य सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04-11-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, तथा संलग्न मूल वाद हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज०	